न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 12/2022 विस्फोटक अधिनियम 1884
GCMS No. 2022/2

जितेन्द्र मोजासिया पुत्र श्री नन्दकिशोर मोजासिया निवासी मोजासिया चौक, वार्ड नं. 30 जिला चूरू राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री उमाशंकर बिस्सा — अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ — सहायक लोक अभियोजक

निर्णय

दिनांक 20.05.2022

1— यह अपील विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 एफ व सपठित विस्फोटक नियम 2008 के नियम 121 के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू के आदेश दिनांक 29.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसके द्वारा अपीलांट का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र संख्या 122/2015 निरस्त किया गया है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम से आतिशबाजी (पटाखें) क्रय एवं विक्रय के लिए स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 122/2015 जिला मजिस्ट्रेट चूरू से जारीशुदा है। अपीलांट का फायर वर्क्स विक्रय का अनुज्ञा पत्र की वैधता दिनांक 31.03.2021 तक की होने के कारण आगामी निर्धारित अवधि के लिये विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112(1) के अनुसार दिनांक 19.02.2021 को पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर दिनांक 29.11.2021 को जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं मानते हुए विस्फोटक नियम 2008 के नियम 116(2) के प्रावधानों के तहत आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र संख्या 122/2015 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 29.11.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड एवं रिपोर्ट तलब किया गया। रिपोर्ट एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री उमाशंकर बिस्सा ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की फर्म का फायर वर्क्स विक्रय के अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिए विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112(1) के अनुसार दिनांक 19.02.2021 को नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। अपीलांट के प्रार्थना पत्र को जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने मैकेनिकल आदेश पारित करते हुए दिनांक 29.11.2021 को बेबुनियादी आधारों पर अस्वीकार कर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने "प्रशासन की विफलता" को मुख्य आधार मानकर "की बाजार में यातायात की सुव्यवस्था न होने से" मुख्य कारण "व्यापक जनहित व सुरक्षात्मक दृष्टि" बताया जो कि प्रशासन की विफलता है, न की अपीलांट द्वारा विधि का उल्लंधन है। अधिनस्थ न्यायालय ने लाईसेंस व लाईसेंस रिकार्ड पर उपस्थित साक्ष्यों की सुसंगतता व ग्राह्यता तथा साक्ष्य का मुल्य निर्धारण करने में भूल कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय ने ज्यूडीशियल माईन्ड ज्यूडीशियली अप्लाई नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने वृताधिकारी चूरू व संबंधित थानाधिकारी कोतवाली की रिपोर्ट को प्रकरण में अहम मानते हुए आदेश जारी किये है। अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस प्रशासन की व्यक्तिगत राय को आधार मानकर आदेश पारित किया है। साक्ष्य विधि का मूलभूत सिद्धांत है कि Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose. अपीलांट का इसी स्थान पर वर्ष 2015 से लगातार लाईसेंस शुदा आतिशबाजी व्यापार जारी रहा है तथा वर्ष 2020 में कोरोना काल से लॉकडाउन के कारण लाईसेंस नवीनीकरण की फीस जमा नहीं करवा पाया। अपीलांट की फर्म के अनुज्ञा पत्र का वर्ष 2015 से लगातार जिला मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा नवीनीकरण होता रहा है, जिसकी कभी भी नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। फायर ऑफिस की रिपोर्ट पुलिस अनुसंधान में शामिल नहीं है। फायर ऑफिसर जो दमकल सेवा का तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उसकी राय को भी नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किये है। कार्यालय तहसीलदार चूरू का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

डाटा व फाइंडिंग को साक्ष्य में शामिल किये बिना आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट चूरू के आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

5— विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील में अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चूरू द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 18.05.2022 के संलग्न पुलिस अधीक्षक चूरू की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2022 में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जा सकती है।

6— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने अपीलांट के अनुज्ञा पत्र संख्या 122/2015 के लाईसेंस नवीनीकरण के आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2021 को जिला पुलिस अधीक्षक चूरू की रिपोर्ट के आधार पर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 116(2) के प्रावधानों के तहत निरस्त किया। इस न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहने पर जिला मजिस्ट्रेट चूरू ने दिनांक 18.05.2022 को रिपोर्ट प्रेषित की। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि जिला पुलिस अधीक्षक चूरू एवं आयुक्त, नगर परिषद् चूरू की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों में भिन्नता है। अतः अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चूरू प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच कर नियमानुसार पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अपीलांट को अवांछित रूप से परेशान न किया जावे।

7— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर